जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-115
21/6/23

क्रमांकः जविप्रा/उपा. जोन–8/2023/डी– 1622   दिनांक 17/6/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षे0 (व0ग0)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री यादराम महावर पुत्र श्री रामनन्द	श्री रामनारायण पुत्र श्री भंवरलाल जी सेठु	6	100	लुनियावास गृ. नि.स.स. लि0	सुरज नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनाम एवं इकरारनामा में गवाह के हस्ताक्षर नहीं होने से।
2.	श्री चन्दा देवी पत्नी स्व. श्री पांचू लाल खींची	श्री पांचू लाल खींची पुत्र श्री रामपाल खींची	155बी	104	लुनियावास गृ. नि.स.स. लि0	गोविन्द नगर	लीजडीड	सजरा प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग होने से।
3.	श्रीमती लाली बाई पत्नी श्री बन्ना खटीक	श्री किशन सिंह नेगी पुत्र श्री प्रवीण सिंह नेगी	109	75	लुनियावास गृ. नि.स.स. लि0	गोविन्द नगर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, खोया–पाया की प्रति एवं एफ.आई.आर की प्रति होने से।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

1. सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–5 / 2023 / डी–1417 दिनांक 20-6-23

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू–उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 15 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू–उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स / निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान–2025 / जोनल विकास योजना अनुसार भू–उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	05	श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र शर्मा	श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नी श्री शैलेन्द्र शर्मा	74, 75 व 76	आवासीय	अपोलो नगर श्री गोपाल नगर	1390.17 व. ग.	मिश्रित भू उपयोग (30 मीटर गहराई तक)	मिश्रित भू उपयोग

-Sd.
उपायुक्त जोन–5
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन–5
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250): फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2023 / डी– 1418 दिनांकः– 20-6-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	130372	श्री चन्द्र प्रकाश कुमावत पुत्र श्री कैलाश चन्द कुमावत	श्री कैलाश कुमावत पुत्र श्री गुलजी कुमावत	एस–251	50.00	न्यू पिंकसिटी	महेश नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
2.	–	श्री नेतराम शर्मा पुत्र श्री गुरू दयाल शर्मा	श्री नेतराम शर्मा पुत्र श्री गुरू दयाल शर्मा	8	243.33	गुलाब बाड़ी	सरती नगर	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मूल दस्तावेज गुम होने बाबत
3.	–	श्री जगदीश प्रसाद करनानी पुत्र श्री ब्रज मोहन करनानी	श्री ब्रज मोहन करनानी पुत्र श्री हीरालाल करनानी	एम–84	470.00	महेश गृह	महेश कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2023/डी– 1212 दिनांक 19/6/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री शिवराज सोनी पुत्र श्री लूणकरणराम	श्रीमती कानी देवी पत्नी श्री लूणकरण	दुकान नं ई– 31	13.93 व.मी.	जविप्रा	आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर	फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2023/डी– 977 दिनांक 14/3/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री कमल किशोर स्नेही पुत्र श्री रामस्वरूप स्नेही	श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल	डी– 63	44.44 व.ग.	मोती भवन	हनुमान नगर– डी	फ्री होल्ड पट्टा	पंजीकृत वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2023 / डी– 2898 दिनांकः– 20/6/2023

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	45	100	श्वेत नगर (निजी खातेदारी)	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दीपक शर्मा	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री दीपक शर्मा	मूल दस्तावेज गुम होने के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2023/डी– 2317 दिनांक:– 21/6/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीफैली राम बलाई	ई–75	जविप्रा	झालाना फेज–II	पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा–3 / लालकोठी / डी– 298 दिनांक 21/6/23

सार्वजनिक सूचना

प्रार्थी बाबूलाल कटारिया पुत्र श्री छोटू उर्फ छोटे लाल माली को ग्राम भोजपुरा तह. व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 34, 35, 36 व 38, क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज (836.12 वर्ग मीटर) की लीजडीड कमांक 53 / 18 दिनांक 28.12.2018 को जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु सं. 2 के उपबिन्दु संख्या – iv के कम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर प्लान / जोनल प्लान में दर्शित व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार पूर्व दिशा में 100 फीट सहकार मार्ग, उत्तर दिशा में जविप्रा की भूमि, पश्चिम दिशा में भोजपुरा कच्ची बस्ती तथा दक्षिण दिशा जविप्रा की भूमि दर्शित है।

उपरोक्त प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था आदि को कोई आपत्ति / सुझाव हो, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कालावधि में आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 21/6/23 को जारी की गई है।

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–3
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष : (0141–2574768) : (o)ईपीबीएक्सः 0141–2569696 एक्सटे.: (8220): फैक्सः +91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2023 / डी–8274 दिनांक 20-6-23

–:सार्वजनिक सूचना:–

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के तहत जोन–12 में निम्न आवेदक द्वारा लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुनील गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता	सुनील गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता	ए–94	50.00	श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति	भैरव नगर	लीजडीड	जविप्रा में उपलब्ध सदस्य सूची में आवंटी का नाम व भूखण्ड संख्या अंकित नहीं है। आवंटन प्रमाण पत्र, साईट प्लान, रसीद, सोसाईटी द्वारा पत्र के आधार पर सदस्य सूची में नाम व भूखण्ड संख्या अंकन किये जाने के सम्बन्ध में।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रमाण पत्र, साईट प्लान, रसीद, सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2023 / डी– 8276 दिनांक 10-6-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :–90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या 08276 दिनांक 10-6-23

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति को योजना श्री बालाजी नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	स्वामित्व
ग्राम सिरसी तहसील जयपुर	1979	0.4553	1. छोटूराम पुत्र ताराचन्द हि. 1/2 जाति रैगर सा.देह खातेदार 2. नानगराम पुत्र ताराचन्द हि. 1/2 जाति रैगर सा.देह खातेदार
	1980	0.4047	
	1699	0.4806	
	कुल 3	1.3406 हैक्टयर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 21-6-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2023 / डी–1402 दिनांक 20.6.23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज / आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम / पता	समिति का नाम / निजी खातेदारी / जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	सी–13	श्रीमती कंचन सिंह पत्नी श्री अशोक सिंह	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार जे ब्लॉक	लीजहोल्ड से फीहोल्ड लीजडीड
2.	220सी	श्री रामेश्वर लाल चौधरी पुत्र श्री रामकरण जाट	रामराजपुरा गृ.नि.स.स.	गोविन्द विहार–ए	फीहोल्ड लीजडीड
3.	136	श्रीमती मोनिका भारती पत्नी श्री बृजेश भारती	विकास भवन गृ.नि. स.स.लि.	आर.के. पुरम	लीज होलड से फी होल्ड पट्टा हेतु
4.	सी–97	श्री रामनिवास मीना पुत्र श्री लल्लूराम मीणा	निजी खातेदारी	गोवर्धन विहार–सी	लीजडीड / नामहस्तान्तरण
5.	बी–160	श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री ताराचन्द जैन	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण / लीजडीड हेतु
6.	54	श्री नमन शर्मा पुत्र डॉ. विनोद कुमार शर्मा	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड हेतु
7.	52	श्री नमन शर्मा पुत्र डॉ. विनोद कुमार शर्मा	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड हेतु
8.	14/OF/234	श्री रामकरण मीना पुत्र श्री कानाराम मीना	जविप्रा	रिंग रोड योजना ग्राम अजयराजपुरा	लीज होलड से फी होल्ड पट्टा हेतु
9.	14/OF/281	श्री रामकरण मीना पुत्र श्री कानाराम मीना	जविप्रा	रिंग रोड योजना ग्राम अजयराजपुरा	लीज होलड से फी होल्ड पट्टा हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–
1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–13 / 2023 / डी– 1815 **दिनांक :–** 20/6/23

लोक सूचना

भंवरलाल नायक पुत्र मुरलीधर नायक हिस्सा पूर्ण जाति–नायक, नि. ग्राम–सामोद अन्तर्गत तहसील–चौमू, जिला–जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **गैर–कृषिक (आवासीय) प्रयोजन** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	क्षेत्रफल (हेक्टै.)
तहसील–आमेर जिला–जयपुर	हरमाडा	246	0.0100	भंवरलाल नायक पुत्र मुरलीधर नायक
		247	0.2200	
		किता–2	**0.2300 हेक्टेयर**	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/6/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	उर्मिला देवी	नीरज कुमार पंवार	11	231.83	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति	वृन्दावन विहार	लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हकत्याग, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन—पी.आर.एन.(दक्षिण—द्वितीय)/2023/डी— 1517
दिनांक 20.6.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल व.ग.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती अनुराधा अग्रवाल पत्नी श्री श्याम अग्रवाल	श्री श्याम अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल	38	140.26	राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सोहन नगर	नाम हस्तांतरण	रजि. विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।
यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 1339 दिनांक 19/06/23

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)
E:\arvind\VIGYAPTI JOINT.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2023 / डी– 8229 दिनांक : 20-6-2023

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय :– **90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए सुओमोटो / 90बी / 90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फ्रोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाई जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षराकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555
e-mail:

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

संख्या 1-8229 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत दिनांक 20-6-2023

लोक सूचना

श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बालाजी विहार–8 की ओर से तहसील जयपुर राजस्व ग्राम सिवांर के निम्नानुसार खसरा नम्बर की 90ए की कार्यवाही दिनांक 20.08.2007 को की गई थी, उक्त योजना का नियमन एवं मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, खसरा नम्बरान् का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा–बिस्वा)	वर्तमान स्वामित्व
ग्राम सिवांर तहसील जयपुर	829	00–01	1. हनुमान पुत्र रामचन्द्र माली हि. 1/2
	830	05–16	
	832	03–14	
	803	04–00	
	804	00–01	
	805	03–09	
	805/1015	00–04	
	825	02–16	1. घासीराम, बाबूलाल, बिरधीचन्द, लालाराम पुत्र रामनाथ जाट हि. 1/3
	826	02–05	1. कानी देवी पत्नी सुवालाल सैनी
	827	04–01	1.कानी देवी पत्नी सुवालाल सैनी हि. 3/14 2. आशा सैनी पत्नी सुरज सैनी हि. 11/14

अतः उक्त खसरा नम्बरों के नियमन एवं मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही करने में उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही होने की स्थिति में योजना का अनुमोदन करने की कार्यवाही की जावेगी।

नोटिस आज दिनांक 20-6-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री माल सिंह	श्री माल सिंह	19	355.5 व.ग.	बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.	हनुमान नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
2	श्रीमती चांद कंवर	श्री माल सिंह	20	355.5 व.ग.	बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.	हनुमान नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
3	श्रीमती कुसुम मिश्रा	श्रीमती कुसुम मिश्रा	179	245.54 व.ग.	नेहरू गृ.नि.स.स.	रेल्वे ऑफिसर्स कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
4	श्री रमेश कुमार वर्मा	श्री प्रवीण कुमार गौड़	39	100.00 व.ग.	श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स.	मां शाकम्बरी नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत विक्रय पत्र आदि।
5	श्रीमती जयमाला सिंह	श्रीमती जयमाला सिंह	ए–07	184.98 व.ग.	बाबा आर.एन. गौड़ गृ.नि.स.स.	गणपति नगर–ए	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
6	श्री नाहर सिंह	श्री नाहर सिंह	बी–90	100.00 व.ग.	इन्द्रा नगर गृ.नि.स.स.	नित्यानन्द नगर–बी एवं सी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
7	श्रीमती स्मृति व्यास	श्रीमती लक्ष्मी खण्डेलवाल	62	275.55 व.ग.	अरविन्द गृ.नि.स.स.	इन्द्रप्रस्थ	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, पंजीकृत

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

								विक्रय पत्र, अपंजीकृत उपहार पत्र आदि।
8	श्री संजय सिंह	श्रीमती मुमताज बेगम	बी–135	200.00 व.ग.	इन्द्रा नगर गृ.नि. स.स.	नित्यानन्द नगर–बी एवं सी	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, अपंजीकृत उपहार पत्र, उप रजिस्ट्रार सहकारिता प्रकोष्ठ से जारी नाम प्रतिस्थापन्न पत्र आदि।
9	श्री शिशपाल सिंह	श्री शिशपाल सिंह	170	127.7 व.ग.	हसनुपुरा–ए गृ.नि. स.स.	सेवाराम नगर	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।
10	श्रीमती उर्मिला जोशी	श्रीमती उर्मिला जोशी	21	413.00 व.ग.	भैरव गृ.नि.स.स.	विनायक विहार	फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आदि।

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्डों का पट्टा आवेदको के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी– 1218
दिनांक :– 20/6/2023

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा/जोन–5/2023/डी–1436 दिनांकः– 21.6.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी /जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	–	श्री हरि शंकर सैनी व श्री लाल चन्द सैनी पुत्रान् स्व. श्री गोविन्द नारायण सैनी	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री गोविन्द नारायण सैनी	के–2	1158.18	निजी खातेदारी	पटेल नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
2.	140972	श्रीमती अपर्णा पत्नी स्व. श्री हरिश चन्द्र शर्मा	श्री हरिश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामानन्द शर्मा	245 ए	146.66	नव जीवन	निर्माण नगर–डी	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–5

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1500 दिनांक 21.6.23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री हबीब खॉ पुत्र श्री बशीर खान एवं श्रीमति हसीना बेगम पत्नी श्री हबीब खॉ	श्रीमती अमृता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश बेनीवाल	3	1000.00 वर्ग गज	दी कृष्णा को–ऑपरेटिव हाउसिंग सो. लि.	स्कीम नं. 3 कृष्णा कॉलोनी	पुर्नगठन, नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र की फोटो प्रति, अपंजीकृत इकरारनामा व अन्य पत्रादि

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/उपा./जोन–14/2023/डी–1413 दिनांक 21/06/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़क (PZ-09/60/5/P1 TO PZ-09/60/5/P2) एव 60 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़क (PZ-09/60/2/P3 TO PZ-09/60/2/P4) से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 331 रकबा 0.62 हैक्ट. में से 5743.58 व.मी., ख.नं. 332 रकबा 0.43 हैक्ट. में से 2637.46 व.मी. एवं ख.नं. 333 रकबा 0.47 हैक्टयेर में से 2694.23 व.मी. कुल किता 03 कुल रकबा 1.52 हैक्ट. में से 11075.27 वर्गमीटर भूमि को खातेदार श्री अतिन जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन हिस्सा 1/4 एवं श्री आशीष जैन पुत्र श्री विनोद कुमार जैन हिस्सा 1/4, श्रीमती अलका सेठी पत्नी श्री डॉ. प्रभाकर सेठी हिस्सा 1/4, श्रीमती ऋचा जैन पत्नी श्री विवेक जैन हिस्सा 1/4 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत् समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत् विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन–14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन–14
उपायुक्त जोन–14
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2023-24/102641 दिनांकः 21/06/2023

लोक सूचना

श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गंगाराम चौधरी जाति जाट ग्राम सायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा वास भांकरोटा, सांगानेर (जयपुर)	श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री गंगाराम चौधरी जाति जाट ग्राम सायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।	247	1500	0.15
			270/3	2900	0.29
			271	3200	0.32
			272/1	700	0.07
			272/2	600	0.06
				कुल	**0.89**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **21-06-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर